INDIAN NATIONAL CONGRESS

उत्तराखण्ड प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी

स्वाती नेगी
प्रदेश सचिव
Mob.: 7500984747 | E-mail : swatinegiofficial@gmail.com

निवास:- 147, चौधरी बिहारी लाल मार्ग
नेशविल्ला रोड़, देहरादून-208001
(उत्तराखण्ड)

पत्रांक:- PCC/मै/मो/26 दिनांक:- 9/9/26

सेवा में
श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
देहरादून

महोदय,

आपका ध्यान **"वसूली अभियानं मोर्चा"** सोशल मीडिया के फेस बुक अकाउंट के माध्यम से लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं की राजनैतिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने की नीयत से डाली जा रही कूट रचित सोशल मीडिया पोस्टों की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं।

महोदय, **"वसूली अभियान मोर्चा"** सोशल मीडिया अकाउंट संचालक द्वारा कांग्रेस नेताओं के खिलाफ किये जा रहे कुप्रचार के खिलाफ पूर्व में मा0 प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर 2025 को लिखित रूप में शिकायत दर्ज कराते हुए उक्त असामाजिक तत्वों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए उचित कार्रवाई की मांग की गई थी, परन्तु उस शिकायत पर कार्रवाई न होने से सोशल मीडिया संचालक के हौसले बुलंद हैं तथा **"वसूली अभियान मोर्चा"** सोशल मीडिया फेसबुक पेज पर दिनांक 28 फरवरी 2026 को एवं उसके उपरान्त भी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की राजनैतिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने की नीयत से एक वीडियो पोस्ट की गई है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि **"वसूली अभियान मोर्चा"** सोशल मीडिया संचालक को सरकार एवं पुलिस प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है।

महोदय, प्रदेश के पुलिस प्रशासन द्वारा जहां एक ओर राज्य सरकार की नाकामियों को उजागर करने पर आम नागरिकों के विरूद्ध झूठी शिकायतों पर कार्रवाई के लिए तत्परता दिखाई जा रही है, वहीं मा0 प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी एवं अन्य कांग्रेस नेताओं द्वारा की गई शिकायतों का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तराखंड में पुलिस प्रशासन द्वारा दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है, एक नियम और कानून देश एवं प्रदेश की आम जनता के लिए होता है तथा दूसरा सत्ताधारी दल के नेताओं तथा उनके समर्थक असामाजिक तत्वों के लिए होता है जिसका वे जब चाहें उलंघन कर सकते हैं। लोकतंत्र में न्याय सभी के लिए बराबर होना चाहिए तथा पुलिस प्रशासन द्वारा इस प्रकार का दोहरा मापदण्ड नहीं अपनाया जाना चाहिए। विपक्षी दल के नेताओं द्वारा की गई शिकायतों की तटस्थ भाव से जांच एवं तद्नुसार कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि समाज का पुलिस प्रशासन एवं कानून पर विश्वास बना रहे।

हम कांग्रेस कार्यकर्ता इस पत्र के माध्यम से मांग करते हैं कि **"वसूली अभियान मोर्चा"** सोशल मीडिया संचालन करने वाले असमाजिक तत्वों पर आइटी एक्ट की सक्षम धाराओं में तत्काल कार्रवाई के आदेश जारी करने का कष्ट करें। एक सप्ताह के अन्दर कार्रवाई न होने की स्थिति में कांग्रेस कार्यकर्ता उग्र आन्दोलन को बाध्य होंगे जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी।

धन्यवाद,

भवदीया

(स्वाति नेगी)